

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधान सभा तथा अन्य मामलों के बारे में सामान्य जानकारो ॥

बुधवार, अप्रैल 6, 1994/ चैत्र 16, 1916 ॥ शक ॥

संख्या : 79

दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994

दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994 को पुरःस्थापना के लिये दिनांक 7.4.1994 को कार्य सूची में शामिल किया गया है ।

विधेयक ॥ हिन्दो-अंग्रेजो ॥ को प्रतिथां अलग-अलग वितरित को जा रही हैं ।

विधेयक पर विचार करने के लिये शनिवार, 9 अप्रैल, 1994 या सोमवार, 11 अप्रैल, 1994 को मंत्रो द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने को सम्भावना है । मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये ।

जो सदस्य दिल्ली महिला आयोग विधेयक, 1994 में संशोधनों को सूचना देने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं दिनांक 8.4.1994 को प्रातः 10.00 बजे तक सचिवालय में दे दें ताकि अध्यक्ष द्वारा यथास्वीकृत संशोधनों को सदन में विधेयक को विचार के लिये पेश किये जाने के पूर्व, सदस्यों तथा अन्य लोगों में वितरित किया जा सके ।

पी० एन० गुप्ता

सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN PART - II

(General information relating to Assembly and other matters)

Wednesday, April 6, 1994/Chaitra 16, 1916 (Saka)

No. 79

The Delhi Commission for Women Bill, 1994

The Delhi Commission for Women Bill, 1994 has been included in the List of Business for 7.4.1994 for introduction.

Copies of the Bill (both version) are being circulated separately.

The motion for consideration of the Bill is likely to be moved by the Minister either on Saturday 9.4.1994 or Monday 11th April, 1994. The Minister will also move that the Bill be passed.

The members who may like to give notice of amendments to The Delhi Commission for Women Bill, 1994, are requested to send their notices so as to reach the Secretariat by 10.00 A.M. on 8.4.1994, to enable the Secretariat to circulate the amendments as may be admitted by the Speaker, to the members and others well before the Bill is taken up for consideration in the House.

P.N. GUPTA
SECRETARY